न्यायालयः अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जलेसर एटा
उपस्थितः विकास कुमार वर्मा, **(J.O.Code. 2225)** उ०प्र० न्यायिक सेवा
प्रकीर्णवाद संख्या–101/2026
रामवीर––––बनाम–––––जयदान आदि

धारा–173(4) बी.एन.एस.एस
थाना–नि०कलां,
जिला एटा

–निस्तारण प्रार्थनापत्र धारा**–173(4) बी.एन.एस.एस–**
11.06.2026

पत्रावली आदेश हेतु नियत है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र पर विस्तृत रूप से सुना गया था।

संक्षेप में परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में कथन किया है कि प्रार्थी रामवीर सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप निवासी नगला पोखर थाना निधौलीकलां, जिला एटा का निवासी है। प्रार्थी की जगह में रखे प्रार्थी के वण्डलों को गाँव का जयराम पुत्र अतर सिंह अचानक आज दिनांक 14.04.2026 समय करीब सुबह 8:00 बजे फेंकने लगा। प्रार्थी ने इसका विरोध किया तो इस बात पर आग बबूला हो गया और बोला कि अभी देखता हूँ। अपने घर जाकर अपने हाथ में नाजायज असलाह लेकर व साथ में सी पुत्र जयदान जिसके हाथ में लाठी, हिमांशू के हाथ में लाठी लेकर आये। जयदान ने देखते ही गाली गलौज की और जान से मारने की नीयत से नाजायज असलाह तान दिया और बोला मारो साले को। सी व हिमांशू ने जमीन पर डालकर जान से मारने की नीयत से लाठियों से मारा। प्रार्थी की पत्नी रामादेवी, नातिन रिंकी प्रार्थी की पुत्रवधुयें बचाने आयीं तो उन्हें भी मारापीटा। प्रार्थी के शरीर में गम्भीर चोटें आयीं। गाँव के लोगों को आते देखकर अभियुक्तगण अपने घर की तरफ जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। प्रार्थी रिपोर्ट लिखाने थाना गया लेकिन वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई तब मजबूर होकर प्रार्थी ने दिनांक 16.04.2026 को एक प्रार्थना पत्र श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, एटा को वजरिये रजिस्टर्ड डाक से भेजा जिस पर भी कोई कार्यवाही न होने पर प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं का शपथ पत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित रिपोर्ट की छायाप्रति, रसीद व एक्सरे रिपोर्ट दाखिल किये गये हैं।

उपरोक्त प्रार्थनापत्र के संबंध में संबंधित थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्या के अनुसार थाने पर उक्त मामले के संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

Criminal Appeal No–781 Mrs Priyanka Srivastava and Another Vs State of U.P. and others **एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रामबाबू गुप्ता व एक अन्य प्रति उ०प्र० राज्य 2001(50) ए.सी.सी. इलाहाबाद तथा सुखवासी बनाम उ०प्र० राज्य 2007(59) ए.सी.सी पेज 739** के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि धारा–156(3) द०प्र०सं० के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर मजिस्ट्रेट को यह विवेकाधिकार है कि वह उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करे अथवा परिवाद के रूप में पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही करें।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के निर्वचन के संदर्भ में निम्न विधि व्यवस्था पारित की गई है:–

1. बसनगौड़ा आर पाटिल बनाम शिवानंद एस. पाटिल (2024) किं० रिट 1 नं0–7526/2024 कर्नाटक उब्व न्यायालय,

2. प्रतीक अग्रवाल बनाम उ.प्र. राज्य (2024) किं. रिट धारा–482 संख्या–10390/2024 इलाहाबाद उच्च न्यायालय खण्डपीट लखनऊ बैंच

3. सुभी एंटनी बनाम सूशा एवं अन्य (2025) कि० उच्च न्यायालय मिस०नं० 508/2025 केरल उच्च न्यायालय

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों एवं उक्त विधि व्यवस्थाओं में वर्णित सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय की राय में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज कर न्यायालय द्वारा स्वयं जांच किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–<u>आदेश</u>–

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रर्कीण वाद को परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा–223 बी.एन.एस.एस. दिनांक 18.06.2026 को प्रस्तुत हो।

(विकास कुमार वर्मा)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जलेसर, एटा।